छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन,मंत्रालय,नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–43/2012/सात–3 रायपुर, दिनांक 30/03/13

प्रति,

1. राहत आयुक्त
छ0ग0रायपुर

2. आयुक्त
भू–अभिलेख
छ0ग0रायपुर

3. समस्त संभागायुक्त
छत्तीसगढ़

4. समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

5. संचालक
शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री
विकास भवन, सिविल लाईन
रायपुर छ0ग0

विषयः– दिनांक 23.03.13 को प्रदेश के अपर कलेक्टरों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

––00––

विषयॉन्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रशासन एवं जिला प्रशासन के कार्यो की समीक्षा हेतु प्रदेश के अपर कलेक्टरों की दिनांक 23.03.2013 को आयोजित बैठक के संबंध में कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

30/3/13
(सी.तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 4–43/2012/सात–3 रायपुर, दिनांक 30/03/13

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, सचिव छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर ।

30/3/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संचा. NIC की मदद से राजस्व विभाग की वेबसाईट c.g.nic.in/Revenue में अपलोड करने हेतु.

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR
No. 478
Date 2/4/13

- 3 -D:\Pillay\pillay2\letter.doc

1/4/13
अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन,मंत्रालय,नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–43/2012/सात–3 रायपुर, दिनांक 30/03/13

प्रति,

1. राहत आयुक्त
छ0ग0रायपुर

2. आयुक्त
भू–अभिलेख
छ0ग0रायपुर

3. समस्त संभागायुक्त
छत्तीसगढ़

4. समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

5. संचालक
शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री
विकास भवन, सिविल लाईन
रायपुर छ0ग0

विषयः– दिनांक 23.03.13 को प्रदेश के अपर कलेक्टरों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

––00––

विषयॉन्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रशासन एवं जिला प्रशासन के कार्यो की समीक्षा हेतु प्रदेश के अपर कलेक्टरों की दिनांक 23.03.2013 को आयोजित बैठक के संबंध में कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

30/3/13
(सी.तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 4–43/2012/सात–3 रायपुर, दिनांक 30/03/13

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, सचिव छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर ।

30/3/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संचा. NIC को मेरे. राजस्व विभाग की वेबसाईट c.g.nic.in/Revenue में अपलोड करने हेतु.

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR
No. 478
Date 2/4/13

- 3 -D:\Pillay\pillay2\letter.doc

1/4/13
अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

विषयः दिनांक 23.3.2013 को प्रदेश के अपर कलेक्टरों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यो की समीक्षा हेतु प्रदेश के अपर कलेक्टरों की द्वितीय बैठक दिनांक 23.3.2013 को माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. डॉ.बी.एल.अग्रवाल, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
2. डॉ. बी.एल.तिवारी, आयुक्त, भू–अभिलेख
3. श्री पी.निहालानी, संयुक्त सचिव, राजस्व
4. श्री चन्द्रकांत उइके, उपसचिव, राजस्व
5. श्री आर.एस.पांडे, उपायुक्त, भू–अभिलेख
5. जिले से उपस्थित अधिकारी (संलग्न सूची अनुसार)

सर्वप्रथम बैठक में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 22.1.2013 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा एवं दिये गये निर्देश के क्रियान्वयन की स्थिति की जिलेवार समीक्षा की गई । जिले के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पिछली बैठक में दिये गये निर्देश जैसे–लंबित ऑडिट कंडिका, आडिट रिपोर्ट, पर्यावरण एवं विकास उपकर वसूली, स्टेटमेंट ऑफ फेक्टस, आबादी पट्टे, खरीफ फसल अनावारी आदि की जानकारी तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । कुछ अधिकारियों ने बताया कि जानकारी शीघ्र प्रेषित की जा रही है । इस संबंध में सचिव, राजस्व द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबंधित जानकारी विभाग को अनिवार्यतः एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा देवें

2. प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011–12, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार जिलों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें दिनांक 25.3.2013 तक उक्त रिपोर्ट अनिवार्यतः भेजने हेतु निर्देशित किया गया । इसी प्रकार बचत आधिपत्य एवं समर्पण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राहत शाखा को दिनांक 28.3.2013 तक विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

32
28/3

3. राज्य सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु जिला—रायपुर, रायगढ़, जांजगीर—चांपा, जगदलपुर एवं बीजापुर से 11 प्रपत्र में जानकारी अप्राप्त है । जिले के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 31.3.2013 तक उक्त जानकारी अनिवार्यतः विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

4. माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में एक प्रपत्र जिले के अधिकारियों को दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि 15 अप्रेल, 2013 तक जानकारी अनिवार्यतः भिजवाएं । यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये कि किसी भी प्रकरण में न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करना लंबित नहीं रहे अन्यथा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी ।

5. पटवारी भर्ती के संबंध में जिलेवार समीक्षा की गई है । रायगढ़ एवं राजनांदगांव जिले को छोड़कर सभी जिलों में चयन प्रक्रिया अंतिम कर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणरत बताया गया । राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के संदर्भ में भर्ती प्रक्रिया लंबित होने की जानकारी दी गई । उन्हें निर्देशित किया गया कि याचिका का निराकरण विधिपूर्वक शीघ्र करायें । कोरिया जिले में स्वीकृत पदों से अधिक प्रत्याशियों के चयन किया जाना बताया गया । निर्देशित किया गया कि इसका परीक्षण कर लिया जाये एवं शासन द्वारा भर्ती हेतु स्वीकृत पद संख्या अनुसार ही भर्ती किया जावे ।

6. बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सचिव महोदय द्वारा मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग को लिखे गये पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये निम्नांकित निर्देश दिये गयेः—

6.1 पटवारी बस्ते का शत—प्रतिशत निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराया जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर उनसे बस्ता जमा कराकर उनके विरूद्व कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । बस्ते का निरीक्षण कब—किस अधिकारी द्वारा किया गया, इसकी जानकारी भी राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अंकित किया जावे ।

6.2 किसी भी राजस्व न्यायालय में अपंजीकृत प्रकरण नहीं होना चाहिए । इसके लिये प्रत्येक राजस्व न्यायालय का अनिवार्य निरीक्षण किया जावे तथा यह कार्य अप्रेल, 13 तक पूर्ण किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजा जावे ।

7. सचिव महोदय द्वारां दिनांक 01 अप्रेल से 15 अप्रेल, 2014 तक राजस्व पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि निम्न बिन्दुओं पर अभी से कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेः—

7.1 पखवाड़े के पश्चात् राजस्व विभाग से संबंधित जिलेवार एक विवरण पुस्तिका (सौवेनियर) तैयार किया जाये,

7.2 राजस्व पखवाड़ा के दौरान जिलों में खसरा, बी—1,नक्शे आदि का निःशुल्क वितरण शत—प्रतिशत वितरण कर लिये जाने का प्रमाण—पत्र सभी कलेक्टर्स द्वारा भेजा जाये,

7.3 वितरण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम कराया जाना सुनिश्चित किया जावे,

7.4 इस दौरान तहसील कार्यालयों, पटवारी बस्तों तथा रिकार्ड रूम का भी शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा,

7.5 बन्दोबस्त त्रुटि सुधार का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे,

7.6 नामांतरण प्रकरणों का निराकरण,

7.7 Assets दुरूस्ती करने की कार्यवाही ।

8. बैठक में अवगत कराया गया कि निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा प्रस्तावित है । अतः कंडिका–5 के अनुसार सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाये ताकि यात्रा के दौरान राजस्व मामले का कोई भी जनशिकायत जनप्रतिनिधियों को न मिले ।

9. कुछ जिलों में शासकीय भूमि की फर्जीवाड़ा की शिकायत को दृष्टिगत शासकीय भूमियों को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त सरकारी भूमि जिसमें चारागह, कोटवारी सेवा– भूमि, घास भूमि, निस्तार–पत्रक की भूमि आदि को लाल स्याही से चिन्हांकित कर 'प्रबंधक कलेक्टर' लिखा जाये । इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी प्रत्येक जिले से दिया जाये कि कुल कितनी शासकीय भूमि है जिसके संबंध में यह कार्यवाही की गई ।

10. माननीय मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश जिले के उपस्थित अधिकारियों को दिये गये :–

10.1 जांजगीर जिले के शासकीय भूमि को निजी दर्ज करने संबंधित प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही तथा प्रकरण पर माननीय न्यायालय में अपील करने की कार्यवाही,

10.2 दुर्ग जिले के आम्रपाली सोसायटी से संबंधित प्रकरण,

10.3 बलौदाबाजार में सड़क के दोनो ओर खनिज ठेकेदार द्वारा खोदे गये गडढे के कारण सड़क की चौड़ाई कम होने के संबंध में जांच प्रकरण ।

11. माननीय मंत्री जी ने उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि बैठक में दिये गये निर्देश का क्रियान्वयन एवं पालन प्रतिवेदन यथासमय भेजा जाये तथा आगामी बैठक में इसकी जानकारी लेकर ही उपस्थित होवें ।

12. विधानसभा बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के संदर्भ में कार्यवाही हेतु निम्नांकित निर्देश दिये गये :–

12.1 तहसील में 10–10 पटवारियों को प्रशंसा पत्र दिया जाना है । इस हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 10 बिन्दुओं पर इनके कार्यो का मूल्यांकन किया जाकर चयन प्रक्रिया अपनाये ।

12.2 कोटवारों के अंग–भंग/मृत्यु होने की दशा में कारपस फंड से राशि देने बाबत ।

12.3 प्रत्येक तहसील में दो–दो कमरा निर्माण हेतु प्राकलन तैयार किये जाने बाबत ।

12.4 200 पटवारी आवास सह कार्यालय बनाने की स्वीकृति । उपयुक्त भूमि आरक्षित किये जाने बाबत । यह भी निर्देश दिये गये कि अन्य मद से भी शासकीय आवास बनाया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जाये ।

12.5 नवीन 09 जिलो में आधुनिक रिकार्ड रूम बनाने हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु तकनीकी स्वीकृति/नक्शा/ड्राइंग/डिजाईन शीघ्र आगामी बैठक के पूर्व प्रेषित किया जाये । इस संबंध में प्रयास किया जाये कि उक्त रिकार्ड रूम का निर्माण कम्पोजिट बिल्डिंग के समीप ही बनाया जावे ।

13. बैठक में आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिलों से निर्धारित पत्रक में नामांतरण/बंटवारा/सीमांकन/राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के निर्वतन आदि की जानकारी कार्यालय को प्राप्त नहीं हो रही हैं, जो अत्यंत खेदजनक है । अतः प्रतिमाह 05 तारीख तक वांछित जानकारी भू–अभिलेख कार्यालय को भिजवायें तथा इसकी प्रतिलिपि राजस्व विभाग को भी भिजवायें ।

14. राजस्व वसूली के संबंध में निर्देशित किया गया कि नजूल पट्टो का प्रीमियम/भू–भाटक/डायवर्सन आदि से प्राप्त राशि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः भिजवायें । इसी प्रकार कितने नजूल पट्टे का नवीनीकरण किया जाना है, इसकी भी जानकारी आगामी बैठक में लाये ।

15. बैठक में कमिश्नर, बिलासपुर संभाग के सुझाव अनुसार शासकीय जमीन की अफरा–तफरी रोकने हेतु भुईयॉ के साटवेयर में संशोधन बाबत विस्तृत चर्चा की गई । शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने के लिये जिस साफ्टवेयर में रिकार्डस संधारित है उसका पासवर्ड संबंधित हल्के के पटवारी के पास न होकर तहसीलदार को दिये जाने पर चर्चा हुई तथा इस संबंध में विस्तृत निर्देश NIC के नोडल अधिकारी श्री श्रीनिवास राव को दिये गये ।

16. बैठक में सचिव महोदय द्वारा जानना चाहा कि प्रत्येक जिले के एक तहसील को आदर्श तहसील बनाये जाने हेतु प्रयास किया जाये । किसी भी जिले के अधिकारी द्वारा तत्काल नाम नहीं बताया जा सका । निर्देशित किया गया कि इस हेतु आगामी बैठक में प्रस्ताव लेकर आयें । यह भी निर्देशित किया गया कि जिले के सबसे खराब तहसील अर्थात जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसका नाम लेकर आवें ताकि उसके सुधार के संबंध में कार्यवाही की जा सके ।

17. पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005 से लागू है । इसके अंतर्गत पर्यावरण उपकर के साथ विकास उपकर भी वसूल किया जाना है । इस संबंध में किसी भी जिले के अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दी गई कि वर्षवार कितनी राशि वसूली हुई है । निर्देशित किया गया कि पर्यावरण एवं विकास उपकर राशि की वसूली के संबंध में वर्षवार जानकारी तत्काल भेजें एवं आगामी बैठक में भी जानकारी लेकर आयें ।

18. जिलो में पदस्थ ऐसे राजस्व निरीक्षक जो स्नातक एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण है उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में समय–सीमा में भिजवानें हेतु निर्देशित किया गया ।

19. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू–अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की सेवा संबंधी पूर्ण विवरण राजस्व विभाग के वेबसाईट पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करने हेतु निर्देश दिया गया ताकि इसे एकजाई किया जा सके । इसकी जानकारी अपने–अपने जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये ।

20. ब्रिस्क योजनांतर्गत बैंक वसूली की जानकारी प्रतिमाह भेजे जाने के निर्देश दिये गये ।

21. भू–अर्जन प्रकरण की राशि का उपयोग अन्य मद में नहीं किया जाना है और न ही बैंक एकाउंट मे रखना है, वित्त विभाग के निर्देश अनुसार इसे पीडी एकाउंट में रखा जाना है ।

22. भू–अर्जन प्रकरणों में लंबित मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना है । मुआवजा का भुगतान पारित अवार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए । कुछ जिलो में पुनर्वास पैकेज पर ब्याज, सोलेसियम जोड़कर भुगतान किया जा रहा है, जो आपत्ति जनक है । बैठक में निर्देशित किया गया कि पुराने वर्षो के लंबित प्रकरण में मुआवजा का भुगतान भी आगामी राजस्व पखवाड़ा के दौरा किया जाकर सभी जिला कलेक्टर यह प्रमाण पत्र देगें कि उनके जिले में लंबित मुआवजा भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण नहीं है । इस संबंध में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि से विस्तृत जानकारी भी लेना उचित होगा ।

23. बैठक में बताया गया कि कुछ जिलों में ऋण पुस्तिका फर्जी होने की शिकायत प्राप्त हुई है । इस पर निर्देशित किया कि इस बात की सत्यता की सुक्ष्म परीक्षण किया जाये ।

24. एनएलआरएमपी योजना की विस्तृत समीक्षा की गई । पूर्व में पांच जिलों–बिलासपुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को आबंटित राशि में कितना कार्य एवं व्यय हुआ है, इसकी जानकारी भी तत्काल भिजवाने के निर्देश दिये गये तथा इसकी सतत् मानिटरिंग करने का भी निर्णय लिया गया । सचिव द्वारा एनआईसी के श्री व्हीएस राव को कहा गया कि अगली बैठक में पॉवर पांइट प्रजेन्टेशन दिया जाये वर्ष 12–13 के बजट में 18 जिले को राशि आबंटन करना है तथा नवीन 09 जिले का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना है । इस हेतु कर्नाटका, गुजरात, आंधप्रदेश एवं दिल्ली में किये गये कार्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी कार्य संपादित हो सके, इसके लिये अधिकारियों को अध्ययन करने के निर्देश दिये गये ।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई । माननीय राजस्व मंत्री जी, सचिव द्वारा अपेक्षा की गई कि प्रदेश में राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में कसावट लाया जायेगा एवं इस संबंध में किसी को भी शिकायत का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

(सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग